माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
कार्या :–(0755) 2551166–71(111)

क्रमॉक /गोपनीय–समन्वय/2016/2023

भोपाल, दिनांक 28/12/2023

//आदेश//

मण्डल परीक्षा वर्ष 2024 की हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा एवं पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि शारीरिक प्रशिक्षण परीक्षा के नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षायें उनसे संबंधित अध्ययनरत शालाओं में तथा स्वाध्यायी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षायें परीक्षा केन्द्र में ही **दिनांक 06 फरवरी से 05 मार्च 2024 तक** नियमित छात्रोंकी प्रायोगिक परीक्षायें अध्ययनरत संस्था में 05 मार्च **से 20 मार्च 2024** के मध्य सम्पन्न की जाएगी।

2. प्रायोगिक परीक्षाओं का संचालन सुव्यवस्थित रूप से निर्धारित समयावधि में सम्पन्न किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम घोषित किया जाता है।

परीक्षा का नाम	प्रायोगिक परीक्षायें सम्पन्न करवाने की अवधि	प्राप्तांकों की ऑन लाईन प्रविष्टि
1	2	3
हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी एवं विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा परीक्षा वर्ष 2024 (नियमित एवं स्वाध्यायी)	(i) नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा 05 मार्च से 20 मार्च 2024 के मध्य अध्ययरत संस्था में। (ii) स्वाध्यायी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा आवंटित परीक्षा केन्द्र में दिनांक 06 फरवरी से 05 मार्च 2024 के मध्य संपन्न होगी।	(i) नियमित छात्रों हेतु संबंधित अध्यनरत संस्था द्वारा दिनांक 05 मार्च से 25 मार्च 2024 तक (ii) स्वाध्यायी छात्रों हेतु आवंटित परीक्षा केन्द्र द्वारा 06 फरवरी से 10 मार्च 2024 तक

आंतरिक परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रविष्टि छात्र की अध्ययनरत संस्था द्वारा एम.पी.ऑन लाईन लॉगिन के माध्यम से दिनांक 01 फरवरी 2024 से 05 मार्च 2024 के मध्य की जाना है।

3. **प्रायोगिक परीक्षाओं के संचालन हेतु निम्न संस्थाओं को समन्वयक संस्था एवं संस्था के प्राचार्य को समन्वयकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है।**

क्र.	जिला	समन्वयक संस्था का नाम	क्र.	जिला	समन्वयक संस्था का नाम
1	मुरैना	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. मुरैना	27	देवास	शा.एस.एन.उत्कृष्ट उ.मा.वि क्र.2 देवास
2	श्योपुर	शा.बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि.श्योपुर कलां	28	आगर	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. आगर
3	भिण्ड	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 भिण्ड	29	झाबुआ	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. झाबुआ
4	ग्वालियर	शा.कन्या उ.मा.वि.शिन्दे की छावनी, ग्वालियर	30	धार	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 घोडा चौपाटी धार
5	दतिया	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. दतिया	31	इन्दौर	शा. मालव कन्या उमावि मोतीतबेला, इन्दौर
6	शिवपुरी	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. शिवपुरी	32	खरगौन	शा. डी.ए. बालक उत्कृष्ट उमावि क्र. 1 खरगौन
7	गुना	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. गुना	33	बड़वानी	शा.बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि.क्र.1 बडवानी
8	अशोकनगर	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. अशोकनगर	34	खण्डवा	शा रायचन्द्र नागड़ा बहु. उत्कृष्ट उ.मा.वि. खण्डवा
9	टीकमगढ़	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 टीकमगढ़	35	बुरहानपुर	शा. सुभाष उ.मा.वि. बुरहानपुर
10	छतरपुर	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 छतरपुर	36	अलीराजपुर	शा. सरप्रताप उत्कृष्ट उ.मा.वि. अलीराजपुर
11	पन्ना	शा.आर.पी.उत्कृष्ट उ.मा.वि. पन्ना	37	राजगढ़	शा. बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि. राजगढ़
12	सागर	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि.क्र.1, सागर	38	विदिशा	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. विदिशा
13	दमोह	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. दमोह	39	भोपाल	मॉडल उ.मा.वि. टी.टी. नगर भोपाल
14	निवाडी	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. निवाडी	40	सीहोर	शा.बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 सीहोर
15	सतना	शा. व्यंकटउत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 सतना	41	रायसेन	शा. बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि. रायसेन
16	रीवा	शा.मार्तण्ड उ.मा.वि.क्र–1 रीवा	42	बैतूल	शा. बहु. उत्कृष्ट उ.मा.वि. बैतूल
17	शहडोल	शा. रघुराज उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.2 शहडोल	43	होशंगाबाद	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. होशंगाबाद
18	उमरिया	शा.बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि. उमरिया	44	हरदा	शा. डां. बी.आर अम्बेडकर उत्कृष्ट उ.मा.वि. हरदा
19	सीधी	शा. उ.मा.वि. क्र. 2 सीधी	45	जबलपुर	शा.एम.एल.बी.कन्या उ.मा.वि. जबलपुर
20	अनूपपुर	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. चेतना नगर अनूपपुर	46	कटनी	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. माधवनगर कटनी
21	सिंगरोली	शा.बालक उ.मा.वि. बैढ़न, सिंगरोली	47	नरसिंहपुर	शा. उ.मा.वि. नरसिंहपुर
22	मंदसौर	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र. 1 मंदसौर	48	मण्डला	शा. उ.मा.वि. क्र.2 मण्डला
23	नीमच	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 नीमच	49	डिण्डोरी	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. डिण्डोरी
24	रतलाम	शा. बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.2 रतलाम	50	छिन्दवाड़ा	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. छिन्दवाड़ा
25	उज्जैन	शा.कन्याउ.मा.वि.दशहरा मैदान, उज्जैन	51	सिवनी	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. सिवनी
26	शाजापुर	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. शाजापुर	52	बालाघाट	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. बालाघाट

निरंतर......2

4. बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति

4.1 नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा के लिये आंतरिक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति संबंधित शाला के प्राचार्य द्वारा अपनी संस्था में कार्यरत संबंधित विषय के शिक्षकों में से की जायेगी।

4.2 हाईस्कूल विज्ञान विषय की प्रायोगिक परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति, बाह्य मूल्यांकनकर्ता के विषय समूह के पूरक के रूप में की जाये। उदाहरण के लिये यदि बाह्य परीक्षक भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र ग्रुप का है तो आंतरिक मूल्यांकनकर्ता जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र ग्रुप का नियुक्त किया जाये।

4.3 यदि अपवादित स्वरूप में, एक ही मूल्यांकनकर्ता को एक से अधिक शाला में बाह्य मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाये की ऐसी शालाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथियां अलग–अलग हो।

4.4 यदि किसी बाह्य मूल्यांकनकर्ता के समय पर उपस्थित नहीं होने के कारण प्रायोगिक परीक्षा प्रभावित होती है तो, जिले की समन्वय संस्था के प्राचार्य तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर चयनित सूची से अन्य बाह्य मूल्यांकनकर्ता की व्यवस्था करावेंगे।

4.5 एक बाह्य मूल्यांकनकर्ता को उतने ही छात्र आवंटित किये जावें जिनकी परीक्षा एक दिन में भलीभांति सम्पन्न कराई जा सके।

4.6 एक मूल्यांकनकर्ता को एक ही विषय की प्रायोगिक परीक्षा के लिये बाह्य मूल्यांकनकर्ता नियुक्ति किया जावे, भले ही वह दो विषयों में योग्यता धारण करते हो।

4.7 जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्णयानुसार जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण, बाह्य मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति का कार्य 15 जनवरी 2024 तक पूर्ण करके शालाओं को आवंटित मूल्यांकनकर्ता की सूची 20 जनवरी 2024 तक संबंधित समन्वय संस्थाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4.8 बाह्य मूल्यांकनकर्ता के नियुक्ति पत्र चार प्रतियों में तैयार किये जावेगें, जिसमें से एक प्रति मूल्यांकनकर्ता को, द्वितीय प्रति संबंधित मूल्यांकनकर्ता की संस्था प्राचार्य को, तृतीय प्रति जिस संस्था पर बाह्य मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया गया है, के प्राचार्य/अग्रेषण संस्था को प्रेषित की जायेगी, तथा चतुर्थ प्रति कार्यालय प्रति के रूप में रखी जावें।

4.9 यह ध्यान रखा जावें कि किन्ही दो शालाओं के शिक्षकों को एक दूसरे में परस्पर बाह्य मूल्यांकनकर्ता नियुक्त न किया जावे तथा एक ही संकाय के दो विषयों में एक संस्था पर बाह्य मूल्यांकनकर्ता एक ही संस्था के नियुक्त न हो।

5. सत्र 2022–23 से माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन/प्रायोगिक परीक्षा के अंक विभाजन हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक/3446/विद्योचित/2022 भोपाल दिनांक 08.06.2022 अनुसार किया गया है।

(5.1) हाईस्कूल

हाईस्कूल परीक्षा हेतु नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के लिये प्रश्नपत्र का निर्माण 75 अंकों का होगा। नियमित छात्रों हेतु 75 अंक सैद्धान्तिक परीक्षा एवं 25 अंक प्रोजेक्ट/प्रायोगिक कार्य तथा नोटबुक हेतु निर्धारित हैं। **स्वाध्यायी छात्रों हेतु आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं किया गया है। स्वाध्यायी छात्रों के लिये 75 अंकों के प्राप्तांक का 100 प्रतिशत अधिभार देकर अंकसूची प्रदाय की जावेगी। समस्त संस्था प्राचार्य इस आशय की जानकारी से संस्था में अध्ययनरत समस्त छात्रों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।**

(5.2) हायर सेकेण्डरी –

हायर सेकेण्डरी के नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के लिए प्रायोगिक विषयों को छोड़कर समस्त विषयों के प्रश्नपत्र 80 अंक के बनाए जायंगे एवं नियमित छात्रों लिये 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिये निर्धारित किये गये है। स्वाध्यायी छात्रों के लिये 80 अंक का प्रश्न पत्र बनाया जाकर 100 अंक से मूल्यांकन किया जाएगा। **समस्त संस्था प्राचार्य इस आशय की जानकारी से संस्था में अध्ययनरत समस्त छात्रों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।**

6. अंकों की ऑन लाईन प्रविष्टि एवं प्रेषण

क. हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के नियमित छात्रों के लिये उनकी अध्ययनरत संस्थाओं की एम.पी.ऑन लाईन की लॉगिन में दिनांक 05 मार्च 2024 से आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा के अंक भरने की सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।

ख. स्वाध्यायी छात्रों के लिये छात्रों को आवंटित परीक्षा केन्द्र के एम.पी.ऑन लाईन के लॉगिन में दिनांक 06 फरवरी 2023 से प्रायोगिक परीक्षा के अंक भरने की सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।

ग. स्वाध्यायी छात्रों हेतु ऐसे परीक्षा केन्द्र जो मण्डल से संबद्धता प्राप्त नहीं है (मिडिल, प्राथमिक या अन्य भवन) ऐसे परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित स्वाध्यायी छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा उसी परीक्षा केन्द्र पर होगी परन्तु छात्रों के अंक जिला समन्वय संस्था के एम.पी.ऑन लाईन लॉगिन पर 06 फरवरी 2023 से ऑन लाईन प्रविष्ट हो सकेंगे। ऐसे केन्द्रों के केन्द्राध्यक्ष परीक्षा केन्द्र पर छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने के उपरान्त जिला समन्वय संस्था में उपस्थित होकर अंकों की ऑन लाईन प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन उपरान्त अंकों ऑन लाईन प्रविष्टि के समय बाह्य परीक्षक की आई.डी. (आधार कार्ड छोड़कर) एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रायोगिक परीक्षा हेतु जारी नियुक्ति आदेश अपलोड करना अनिवार्य है।

8. आंतरिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि उपरान्त ओ.एम.आर.शीट के प्रिन्ट आउट के प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा तथा प्रायोगिक परीक्षा की ओ.एम.आर.शीट पर आंतरिक मूल्यांकनकर्ता एवं ब्ह्य परीक्षक के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करने के उपरान्त ही लिफाफे समन्वय संस्था में जमा किये जाये।

9. जिला समन्वय संस्था में आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा के अंकों की हार्ड कॉपी के लिफाफे विषयार पृथक–पृथक एक प्रति में जमा किया जावे।

वर्ष 2024 की मण्डल परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले नियमित व स्वाध्यायी छात्रों के प्रायोकि/आंतरिक परीक्षा के अंक केवल ऑन लाईन ही मान्य किये जावेंगे, किसी भी दशा में ऑफ लाईन अथवाहस्तलिखित अंक मान्य नहीं किये जावेंगे।

ऑन लाईन ओ.एम.आर.शीट में एक बार की गई अंक की प्रविष्टि सेव करने के बाद उसका प्रिन्ट निकालकर अंकों का मिलान कर लें उसके बाद **"फाईनल लॉक"** करना सुनिश्चित करें। फाइनल लॉक के बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। इसलिये समस्त संस्था प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष/बाह्य परीक्षक से अनुरोध है कि अंकों की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक करें तथा अंक सेव करने के पूर्व अंकों की प्रविष्टि में त्रुटि होने पर सुधार कर लें, तदोपरान्त **"फाईनल लॉक"** करें।

अतः सर्व संबंधित कृपया निर्धारित तिथि में छात्रों की आंतरिक/प्रायोगिक परीक्षा के अंकों की ऑन लाईनप्रविष्टि सावधानी पूर्वक करना सुनिश्चित करें।

10 प्रायोगिक परीक्षा की सामग्री जमा करने संबंधी :–

10.1 जिले की समन्वयक संस्था के प्राचार्य द्वारा जिले की शालाओं के संबंध में निम्न प्रारूप में पंजी संधारित की जायेगी, जिसमें ऑन लाईन अंकों की प्रविष्टि उपरान्त हार्ड कॉपी के लिफाफों एवं प्रायोगिक उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल प्राप्त होने का विवरण अंकित किया जायेगा :–

स. क्र.	शाला का नाम	विषय	प्रायोगिक परीक्षा की तिथि	उत्तरपुस्तिका एवं अंकों की हार्ड कॉपी जमा करने की तिथि	शाला प्राचार्य/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर/नाम/फोन नंबर	समन्वयक संस्था प्राचार्य के हस्ताक्षर/नाम/फोन नंबर

10.2 ऑन लाईन अंकों की प्रविष्टि उपरान्त हार्ड कॉपी के लिफाफों संस्था प्राचार्य द्वारा पृथक सीलबंद लिफाफें में जिले की समन्वयक संस्था के प्राचार्य के पास जमा करावेंगे समन्वय संस्था इन अंको केलिफाफो को 06 माह तक सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।

10.3 प्रायोगिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के विषयवार बण्डल तैयार करके उनके ऊपर निम्न जानकारी स्पष्ट अक्षरों में अंकित की जावें :–

1. परीक्षा का नाम 2. परीक्षा सम्पन्न कराने वाली शाला का कोड क्रमांक, 3. सैद्धांतिक परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्र क्रमांक, 4. विषय, 5. उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या, 6. विषय कोड, 7. उपस्थित छात्रों की संख्या,8. अनुपस्थित छात्रों की संख्या।

विषयवार तैयार किये गये इन बण्डलों में हाईस्कूल परीक्षा के मामले में हरे रंग तथा हायर सेकेण्डरी परीक्षा के मामले में लाल रंग के कपड़े में इकट्ठा बण्डल बनाया जाये। बण्डल के ऊपर यह स्पष्ट लिखा जाये कि बण्डल में कौन–कौन से विषय की कितनी–कितनी उत्तरपुस्तिकायें हैं। जिन परीक्षा केन्द्रों पर नियमित तथा स्वाध्यायी दोनों ही प्रकार के छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा होना है, उनके हरे एवं लाल रंग कपड़े के बण्डल के भीतर ही नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के बण्डल पृथक–पृथक रखें जावें। प्रत्येक बण्डल में उत्तरपुस्तिकायें 200 से अधिक न रखें।

11. **पारिश्रमिक एवं मानदेय का भुगतान**

11.1 प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए समन्वय संस्था के प्राचार्य/कर्मचारियों को निम्नानुसार मानदेय का भुगतान किया जावें :–

1. समन्वयक संस्था के प्राचार्य को रूपये 900/–(नौ सौ रूपये)
2. समन्वयक संस्था के परीक्षा सहायक को रूपये 450/–(चार सौ पचास)
3. समन्वयक संस्था के परीक्षा कार्य से संबंधित लिपिक को रूपये 130/–(एक सौ तीस)
4. समन्वयक संस्था के परीक्षा कार्य से संबंधित भृत्य को रूपये 90/– (नब्बे रूपये)
5. समन्वयक संस्था में पैकिंग एंव डाक व्यय रूपये 300/–(तीन सौ रूपये)

11.2 **प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने वाले बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकनकर्ता को निम्नानुसार पारिश्रमिक भुगतान किया जायेगाः–**

1. हायर सेकेण्डरी परीक्षा में प्रति छात्र 10/–रूपये प्रति विषय एवं न्यूनतम 100/– प्रति परीक्षक।
2. हाईस्कूल परीक्षा में प्रति छात्र 8/– न्यूनतम 100/– प्रति परीक्षक
3. हायर सेकेण्डरी की प्रायोगिक परीक्षा के लिए विज्ञान सहायक/प्रयोगशाला सहायक को 04/– रूपये प्रति छात्र अथवा रूपये 80/– जो भी अधिक हो का भुगतान किया जायेगा।
4. हाईस्कूल की प्रायोगिक परीक्षा के लिए विज्ञान सहायक/प्रयोगशाला सहायक को 2/– रूपये प्रति छात्र अथवा रूपये 60/– जो भी अधिक हो, का भुगतान किया जायेगा।

आदेश की प्रतियां समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं को भिजवाये जाने की कार्यवाही परीक्षा संभाग के द्वारा की जावेगी।

सी.एस.ओ. डाटा द्वारा प्रायोगिक परीक्षा हेतु संस्थावार/विषयवार छात्र संख्या वित्त अधिकारी को दिनांक 15/01/2024 तक उपलब्ध करावेंगे।

वित्त कक्ष के द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के संचालन हेतु राशि का आवंटन दिनांक 03/02/2024 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

12. **आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण परीक्षा के प्रायोगिक आंतरिक अंकों की ऑन लाईन प्रविष्टि करना भी सुनिश्चित करावें।**

13. **पूर्व वर्ष की भांति सभी प्रकार के अंक एम.पी.ऑन लाईन के माध्यम से प्राप्त किये जावेंगे। ऑन लाईन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार/माध्यम से प्राप्त अंक मान्य नहीं किये जावेंगे।**

(सचिव द्वारा अनुमोदित)

27/12/2023

परीक्षा नियंत्रक
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/गोपनीय–समन्वय/2017/2023 **भोपाल, दिनांक 28/12/2023**

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.,
2. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
4. समस्त कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक म.प्र.।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत म.प्र.।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण म.प्र.।
7. आंचलिक अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर/समस्त संभागीय अधिकारी, मा.शि.मण्डल, म.प्र. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता हे कि निर्धारित तिथि में ऑन लाईन अंकों की प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करें।
8. वित्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल। कृपया समस्त संस्थाओं को प्रायोगिक परीक्षा के संचालन हेतु आवश्यक धनराशि 03/02/2024 तक उपलब्ध कराएँ।
9. चीफ सिस्टम ऑफिसर (सी.एस.ओ.) माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल, की ओर प्रेषित करते हुये अनिवार्यतः अपेक्षित है कि हा.से. एवं हाईस्कूल के प्रायोगिक विषयों की संस्थावार, विषयवार छात्र संख्या की सूची वित्त अधिकारी की ओर 15/01/2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10. ामस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण, म.प्र. कृपया ाधीनस्थ शालाओं के प्राचार्यो के नाम परिपत्र जारी कर निर्देशित करें कि उनके अधीनस्थ शिक्षक जिन्हें ायोगिक परीक्षा का कार्य दिया गया है समय पर प्रायोगिक परीक्षा लें। कृपया प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु ालाओं में पर्यवेक्षण की योजनाबद्ध प्रणाली व्यवहृत करें।

11. ामस्त प्राचार्य, मान्यता प्राप्त संस्थायें/प्रायोगिक परीक्षा समन्वयक शालाएँ (जिला समन्वयक) जिला ख्यालय (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुये अपेक्षित है कि प्रायोगिक रीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल सूचीबद्ध कर, विषयवार व्यवस्थित कर, समन्वयक संस्था में ही खें जावें।

12. ाज सचिव/निज सहायक, अध्यक्ष/सचिव/अतिरिक्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक माध्यमिक शिक्षा मण्डल, ध्यप्रदेश भोपाल।

की अर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

27/12/23

परीक्षा नियंत्रक
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश भोपाल